



78

निगरानो :-

1121-PBR-16

निगरानो प्र.क्र.

16

श्रीमान महोदय,

राजस्व मण्डल ग्वालियर

1. बस्करबाई पिता राजाराम जाति राजपूत
2. राजाराम पिता शोभाराम जाति राजपूत
दोनो निवासो दारापूर तहसोल खरगोन
जिला खरगोन म.प्र.

-- आवेदकगण / मुलकीनावेदक

विरुद्ध

भुरोबाई पति धर्मराज जाति राजपूत
निवासो दारापूर तर्पे, धर्मराज पिता शंकर
जाति राजपूत निवासो ग्राम दारापूर
तहसोल व जिला खरगोन म.प्र.

-- अनावेदकगण / मुलकीनावेदक

विषय :- निगरानो ।

सदर निगरानो आवेदक को ओर से प्रस्तुत करते विनम्र प्रार्थना है कि:-

सदर निगरानो श्रीमान नायब तहसोलदार खरगोन द्वारा राजस्व प्र.क्र. अ।उ/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30.3.2016 को पारित आदेश जिसके द्वारा अवैधानिक रूप से रास्ता खोजने का अंतरिम आदेश पारित किए जाने से दूखो होकर न्याय प्राप्त हेतु सदर निगरानो प्रस्तुत को है ।

सदर निगरानो आदेश दिनांक 30.3.2016 से नियत समयावधि में प्रस्तुत है ।

आदेश दिनांक 30.3.2016 को प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत है ।

सदर निगरानो सूनवाई का श्रेयाधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान को होने से श्रीमान के समक्ष उचित एवं नियत न्यायशुल्क पर प्रस्तुत को है ।

श्री. बस्करबाई
द्वारा आज दि. 6.4.16 को
प्रस्तुत



6 ऑक्टोबर
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Chand
06/4/16

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1127-पीबीआर/2016 जिला खरगोन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>